

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशोंक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2023 दि0 लखनऊ:12 अक्टूबर, 2023

--:: संशोधित आदेश ::--

मुख्यालय के आदेशोंक 1278/2023 दिनांक 29-09-2023 के द्वारा निम्नांकित जनपद-झांसी में युगलपीठ का गठन दिनांक 01-11-2023 से 04-11-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, झांसी पीठ झांसी एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, आगरा को, जनपद-सहारनपुर में युगलपीठ का गठन दिनांक 16-11-2023 से 18-11-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, इलाहाबाद पीठ-प्रथम, इलाहाबाद एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ सहारनपुर को एवं जनपद-वाराणसी में युगलपीठ का गठन दिनांक 16-11-2023 से 18-11-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, झांसी पीठ झांसी एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी को नामित किया गया था।

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, आगरा श्रीमती गीता सिंह द्वारा कार्यालय के पत्र सं0 148 दिनांक 06-10-2023, न्यायिक सदस्य पीठ-1, इलाहाबाद श्री राजीव रंजन द्वारा कैम्प कार्यालय-कानपुर से प्रेषित पत्र सं0 572 दिनांक 10-10-2023 एवं सदस्य पीठ-4, वाराणसी के पत्र संख्या- 662 दिनांक 10-10-2023 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं0 1278/2023 दिनांक 29-09-2023 को आंशिक रूप में संशोधित करने के साथ ही जनपद-गाजियाबाद में गठित युगलपीठ दिनांक 01-11-2023 से 04-11-2023 में संशोधन करते हुए युगलपीठ निम्न प्रकार गठित की जाती है।

1	पीठ-झांसी	पीठ - झांसी	दिनांक 01.11.2023 से 04.11.23	निरस्त
2	पीठ-सहारनपुर	पीठ - सहारनपुर	दिनांक 16.11.2023 से 18.11.23	निरस्त
3	पीठ-वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी।	दिनांक 21.11.2023 से 23.11.23	न्या0 सदस्य पीठ-1, इलाहाबाद सदस्य पीठ-4, वाराणसी
4-	पीठ- गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	दिनांक 01.11.2023 से 03.11.23	यथावत

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-12-10-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0संशो0/1352/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, झांसी पीठ-झांसी/आगरा पीठ-2, / पीठ-सहारनपुर/ पीठ-1, इलाहाबाद/ पीठ-1/2 गाजियाबाद/ पीठ-1 /2 /3 /4/5/6 वाराणसी।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/नाजिर, मुख्यालय।
- 3- वेब-अधिकारी, मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।